संख्याः1229 / XXV ।।।–3–2004–158 / 2003

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण,
उत्तरांचल,देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–3 देहरादूनःदिनांक 27 जनवरी,2005

विषयः– रिट याचिका संख्याः46 / डी0ए0ओ0 / 2002 / सरकार बनाम भागीरथी पन्त के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 5प / 8 / 47 / 2004 / 29214 दिनांक 16.12.2004 के संदर्भ एंव शासनादेश संख्याः 1442 / चिकि0–3–2003–158 / 2003 दिनांक 08.12.2003 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय द्वारा रिट याचिका संख्याः46 / डी0ए0ओ0 / 2002 / सरकार बनाम भागीरथी पन्त के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय,नैनीताल के निर्णय दिनांक 26.06.2002 एंव दिनांक 27.09.2004 के अनुपालन में वादी को क्षतिपूर्ति के रूप में डिक्रीटल धनराशि रू. 1,50,000 / –(रू. एक लाख पचास हजार मात्र) के भुगतान की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2004–05 आय–व्ययक के अनुदान संख्या–07–लेखाशीर्षक–2052–सचिवालय,सामान्य,सेवायें–आयोजनेत्तर–00–800–अन्य व्यय,06 -मा0 न्यायालय द्वारा की गयी डिक्री से संबंधित धनराशि–42–अन्य व्यय(भारित) के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्याः1339 / वि0अनु0–2 / 04–05दिनांक 15.01.2005 में प्राप्त उनकी सहमति से प्राप्त की जा रहे है।

भवदीय,
(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव,

संख्याः1229 / (1)XXV–3– ।।।–2005–158 / 2003तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार,उत्तरांचल,माजरा,देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी,अल्मोड़ा।
4. वित्त अनुभाग / नियोजन / एन0आई0सी0 / गार्ड फाईल।

आज्ञा,
(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव